

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(3)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 3 MAY 2016

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, भरतपुर में जिला न्यायाधीश स्तर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का सृजन व स्थापन करती है, एवं इसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है।

क्र०सं०	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1	2	3	4
1.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर जिला (डीग व बयाना के एम.ए.सी.टी. क्षेत्राधिकार को छोड़कर)

राज्यपाल के आदेश से

*03/05/16*  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. रक्षित पत्रावली।

*प्रमोद कुमार*  
(प्रमोद कुमार मलिक)  
संयुक्त शासन सचिव